राष्ट्रीय महिला कोष

नई दिल्ली–110016
फोन : 011–26526612/ 26567187 / 26567188
ई मेलः ed_rmk@nic.in / rmkosh@gmail.com
वैबसाइटः www.rmk.nic.in

राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएं

राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजनाऐं निम्नलिखित हैः–

1. ऋण प्रोत्साहन योजना
2. मुख्य ऋण योजना
3. स्वर्ण ऋण योजना
4. गृह ऋण योजना
5. कार्यगत पूंजी सावधि ऋण योजना
6. फ्रेंचाइजी योजना
7. शहरी सहकारी बैंक/ महिला सहकारी बैंक को पुनः वित्त योजना
8. नोडल एजेंसी योजना।

पात्र संगठन/ पात्रता के मापदंड	1. समिति/सहकारी समिति/स्वैच्छिक संगठन/ धारा 25 के अंतर्गत कम्पनियाँ (गैर मुनाफा संबंधी) का न्यूनतम 3 वर्ष का पंजीकरण 1. महिला विकास निगम/ सहकारी/ डी आर.ए/संघ, नगर निगम आदि जैसी राज्य सरकारी संस्थाएं। 2. बचत एवं ऋण प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव(ऋण प्रोत्साहन योजना के लिए 6 महीने) 3. पिछले तीन वर्ष में 90 प्रतिशत से अधिक वसूली करना। 4. संतोषजनक निधि प्रबंधन तथा वित्तीय निष्पादन। 5. सामाजिक– आर्थिक क्षेत्र में बेहतरीन रिकार्ड। 6. संगठन के पदाधिकारियों को किसी राजनीतिक दल का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। 7. संगठन में लेखा जोखा तैयार करने की उचित प्रणाली होनी चाहिए। इस लेखा का प्रतिवर्ष लेखा जोखा लेखा परीक्षित प्रकाशित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितताऐं नहीं होनी चाहिए। 8. आवेदन में पूर्व लिए गये ऋण के प्रयोग के निधि स्रोतों को स्पष्ट किया जाऐं।

	10 संगठन की उपनियम में विभिन्न वित्तीय एजेंसियों से उधार लेने का प्रावधान होना चाहिए। 11 जो संगठन 1 करोड़ से अधिक ऋण लेना चाहते हैं,उन्हें प्रमाणित प्रमाणित क्रेडिट एजेंसियों जैसे एम – क्रिल, क्रिसील, केयर,स्मेरा, अभिगम विकास सेवाऐं इत्यादि से प्रमाणित होना चाहिए।
प्रतिभूति	1. राष्ट्रीय महिला कोष ₹ 1 करोड़ तक ऋण स्वीकृति हेतु संपार्श्विक जमानत नहीं लेता है। 2. यदि ऋण दाता संगठन की ऋण राशि ₹ 1 करोड़ से अधिक है ते उसे स्वीकृत राशि का 10% सावधि जमा में जमानत के तौर पर जमा करना होगा। 3. यदि राज्य सरकार या उनका संगठन/विभाग तुलन–पत्र में प्रकट करता है तो राज्य सरकार की जमानत लेनी होगी।
सीमान्त राशि	वह संगठन जो राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण हेतु आवेदन कर रहा है उसे स्वीकृत ऋण राशि का 10% अंशदान करना होगा।
अधिकतम ऋण	1. प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु आय उत्पादित गतिविधियों के लिए अधिकतम ऋण राशि ₹ 50,000/–। 2. प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु निम्न स्तर के गृह निर्माण/मरम्मत एवं रखरखाव हेतु अधिकतम ऋण राशि ₹ 1,00,000/–। नोटः व्यक्तिगत ऋण हेतु उपरोक्त राशि से बढ़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निर्देशिका के तहत दी जाऐगी।
ऋण स्वीकृति हेतु प्रक्रिया	राष्ट्रीय महिला कोष में यदि कोई पूर्ण आवेदन एक बार अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्राप्त हो जाता है तो पूर्व आवेदन पत्र में दिये गये दावा का सच्चाई का जाँच क्षेत्रीय दौरा कर पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद ऋण की राशि स्वीकृति के लिए ऋण कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।यदि एक बार समिति निर्णय ले लेती है तो स्वीकृति पत्र जिसमें ऋण की शर्तो का उल्लेख किया गया हो को इकरारनामें के लिए संबंधित संस्था को भेज दिया जाता है।
संवितरण की विधि	स्वर्ण ऋण योजना छोड़कर स्वीकृत ऋण राशि को 2 किस्तों में संवितरित किया जाता है।
अदायगी	छहः माह के प्रारंभिक ऋण स्थगन के साथ ग्यारह तिमाही किस्तों में।
एम आई एस	1. संगठन को सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट को हर तीन महीने में जमा कराना होगा। 2. प्रति वर्ष संगठन को वित्तीय वर्ष के पूरा होने के छहः महीने के अन्दर वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय लेखा विवरण प्रस्तुत करना है। 3. संगठन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की छमाही में जमा राशि पुष्टिकरण 4. प्रमाण पत्र जमा करना है।

पुनः ऋण	उधार कर्ता संस्था को वर्तमान ऋण का 50% अदा करने के बाद ही नये ऋण / पुनः ऋण के लिए आवेदन के योग्य समझा जाऐगा।	
ब्याज की दर	1. फ्रेंचाइजी योजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं में।	<u>दिनांक 31.03.2013 से पूर्व स्वीकृत ऋण हेतु ब्याज की दर।</u> 1) रा.म. कोष. एन.जी.ओ. को 8% घटती शेष पर। 2)एन.जी.ओ. एस.एच.जी / लाभार्थी से प्रतिवर्ष घटती शेष पर अधिकतम 18% पर ब्याज ले सकता है।
		<u>दिनांक 01.04.2013 से स्वीकृत ऋण पर ब्याज की दर।</u> 1) रा.म.कोष, एन.जी.ओ. को प्रतिवर्ष 6% घटती शेष राशि पर। 2) एन.जी.ओ. एस.एच.जी./ लाभार्थी से 6% से ऊपर अधिकतम 14% घटती शेष राशि पर ऋण देगा।
	2. फ्रेंचाइजी योजना के अंतर्गत	1) रा.म.कोष फ्रेंचाइजी को प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती शेष पर ऋण देती है। 2) फ्रेंचाइजी उप फ्रेंचाइजी / एन. जी.ओ. को घटती शेष पर 5% से ऊपर अधिकतम 8% पर ऋण दे सकता है। 3) उप फ्रेंचाइजी या एन.जी.ओ. एस.एच.जी. / लाभार्थी से 8% से ऊपर अधिकतम 18% ब्याज घटती शे शेष पर ले सकती हैं।

प्रत्येक ऋण योजना का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

A. **ऋण प्रोत्साहन योजनाः–** राष्ट्रीय महिला कोष नए और छोटे संगठनों जो सक्षम हो, को बचत और ऋण गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख ऋण देता है, बशर्ते उन्हें स्वयं सहायता समूहों, बचत एवं ऋण और वसूली प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम छहः माह का अनुभव हो। संगठन को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र भर कर राष्ट्रीय महिला कोष को भेजना पड़ता है। यह प्रपत्र रा.म.के की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पात्रता : अन्य पात्रता मापदंड उपरोक्त बॉक्स 1 में वर्णित जैसी ही रहेंगी।

B. **मुख्य ऋण योजनाः–** वे पात्र संगठन जिनको तीन वर्ष का बचत एवं ऋण गतिविधियों का अनुभव हो, को ऋण प्रदान किया जाता है। संगठन एक राज्य में अधिकतम ₹ 2 करोड़ का ऋण ले सकता है। कोई भी संगठन एक ही समय में अधिकतम 3 राज्यों मे इस योजना के तहत ऋण ले सकता है। यदि संगठन एक से अधिक राज्यों के लिए ऋण लेता है तो अधिकतम ऋण राशि ₹ 6 करोड़ हो सकती है। संगठन को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में रा.म.के. को आवेदन भेजना पड़ता है। यह प्रारूप रा.म.के. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पात्रताः अन्य पात्रता मापदंड उपरोक्त बॉक्स एक में वर्णित जैसी ही रहेंगी।

C. **स्वर्ण ऋण योजनाः–** इस योजना के अंतर्गत मध्यम एवं बड़े एन.जी.ओ. को बड़ा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है जोकि रा.म.के. से पहले ऋण ले चुके हों एवं अदायगी में चूककर्ता नहीं है। संगठन इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि ₹ 5 करोड़ ले सकता है। यह राशि संगठन को ऋण के रूप में केवल एक ही किस्त में दी जा सकती है।

आवेदन को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में भरकर राष्ट्रीय महिला कोष को भेजा जा सकता है। यह प्रारूप रा.म.के. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अदायगी अवधि : उसकी अदायगी एक वर्ष की प्रारंभिक स्थगन अवधि के बाद पाँच अर्ध–वार्षिक किस्तों में की जाती है।

पात्रताः अन्य पात्रता मापदंड उपरोक्त बॉक्स एक में वर्णित जैसी ही रहेंगी।

D. **गृह ऋण योजना** : राष्ट्रीय महिला कोष संगठनों के जरिऐ स्वयं सहायता समूहों / जे.एल.जी. के सदस्यों को घर बनाने और मरम्मत के लिए कम कीमत वाले घर की संरचना और मरम्मत के लिए ऋण दिया जाता है। यह ऋण आई.एम.ओ. के माध्यम से दिया जाता है। यह ऋण प्रति लाभार्थी को कम कीमत वाले घर की संरचना के लिए ₹ 1,00,000/–(एक लाख तक) दिए जाते हैं।

संगठन को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में रा. म.के. को आवेदन भेजना पड़ता है। यह प्रारूप रा.म.के. की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।

पात्रता : अन्य पात्रता मापदंड उपरोक्त बॉक्स एक में वर्णित जैसी ही रहेंगी।

E. **कार्यशील पूँजी सावधि ऋण योजना :–** राष्ट्रीय महिला कोष महिला स्वयं–सहायता समूहों/व्यक्तियों तथा सामूहिक उद्यमियों के उत्पादों के विपणन सुविधाऐं हेतु कार्यशील पूंजी सावधि ऋण देता है। इसमें प्रौद्योगिकी अंतरण शिक्षा तथा कुशलता उन्नयन भी शामिल है। आवेदक को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव रा.म.कोष को भेजना होता है।

पात्रता मापदंड

(1) आवेदक की संस्था, राष्ट्रीय महिला कोष को आवेदन करने की तारीख के तीन वर्ष से कम समय से पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।

(2) संगठन को सूक्ष्म–ऋण प्रबंधन, एस.एच.जी. संगठन, एस.एच.जी. प्रोत्साहन एवं विकास के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(3) संगठन का बेहतरीन अदायगी प्रबंधन होना चाहिए। (अन्य वित्तीय एजेंसियों/एस.एच.जी. के आन्तरिक ऋण इत्यादि से कम से कम 90% अदायगी होनी चाहिए।

(4) किसी बाहरी एजेंसी से उधार या ऋण लेने का प्रावधान संगठन के नियम/उपनियम / संस्था के बहिर्नियम में अवश्य होना चाहिए।

(5) संगठन के पदधारी किसी भी राजनैतिक दल के चयनित प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए ।

(6) संगठन में लेखा जोखा तैयार करने की उचित प्रणाली होनी चाहिए। इस लेखा का प्रतिवर्ष तुलन पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितताऐं नहीं होनी चाहिए।

(7) संगठन को एक विस्तृत परियोजना फार्म जमा कराना होगा जोकि संगठन की आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से विकसित हो तथा संगठन के सामाजिक उद्देश्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरा करता हो।

(8) उधार लेने वाले संगठन को राष्ट्रीय महिला कोष/ एस.आई डी बी आई (सिडबी) नाबार्ड/ व्यावसायिक बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं की सूक्ष्म–ऋण योजना के अंतर्गत कम से कम ₹ 25 लाख या इससे अधिक राशि के ऋण के लेन–देन का सफल अनुभव होना चाहिए।

(सरकारी संगठनों के लिए लागू नहीं।)

अधिमानी शर्त्ते :–

(1) संगठन को एस.एच.जी. या गरीब महिला उद्यमकर्ता या भारत सरकार के मंत्रालयों/ राज्य सरकार या अन्य वित्तीय एजेंसियों द्वारा चलाऐं जा रहे आश्रयों में नियुक्त कर्मचारी को वरीयता दी जानी चाहिए।

(2) एन. जी.ओ. को उनकी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एस.एच.जी. सदस्यों/ महिला उद्यमकर्ता की हर प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहिए।

ऋण का उद्देश्य :– कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना के अंतर्गत लिये गये ऋण का ऋणदाता संगठन को निम्न उद्देश्यों के तहत प्रयोग करना होगा।

1. सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु जैसे :–
   –एस.एच.जी. के उत्पाद को उत्पाद स्थान से विपणन स्थान तक ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग करना ।
   –एस.एच.जी. की गतिविधियों को लागू करवाने के लिए कार्यशाला तैयार कराना।
   –एस.एच.जी. के उत्पादों की बिक्री के लिए दुकान/केन्द्र बाजार उपलब्ध कराना।
   – संगठन द्वारा मिर्च के पौधे (चिलिंग प्लांट) छोटे आकार के भंडारण, गोदाम स्थानीय हाट का आयोजन कराना।
2. रा.म.कोष द्वारा प्रदत्त निधि को सरकारी योजनाओं में एस.एच.जी./माइक्रो उद्यमियों द्वारा निवेश योजना जारी रखना।
3. एस.एच.जी. के उत्पाद की अधि प्राप्ति सरकारी खरीद एवं उनका विपणन।
4. एस.एच.जी. के सदस्यों को नियुक्त करके पट्टे पर ली गई जमीन पर फसल उगाना इत्यादि।
5. संगठन का उद्देश्य आय उत्पादित गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत महिला या महिला समूह उद्यमकर्ता को ऋण उपलब्ध कराना तथा संगठन को महिला उद्यमकर्ता के उत्पाद की बिक्री एवं ऋण की अदायगी को सुनिश्चित करना ।
6. संगठन का उद्देश्य जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य हो ऐसी निम्न स्तर की समित्तियों को पुनः विकसित अवस्था में लाना।
7. उन समित्तियाँ या महिला समूह के ऋण का भुगतान करना जो महाजन या अन्य स्रोतों से अधिक ब्याज दर पर ऋण लिया हो।
8. एस.एच.जी. या महिला उद्यमकर्ता को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना ।
9. संगठन का उद्देश्य छोटे महिला उद्यमकर्ता या एस.एच.जी. को विभिन्न प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण/ कुशलता उन्नयन/शिक्षा आदि कार्यक्रम को कार्यान्वित करवाना।
10. एस. एच.जी./ महिला उद्यमी के उत्पादों को निर्यातित करना।
11. एस. एच.जी./माइक्रो उधमी के उत्पादों के विपणन हेतु 'बिक्री प्रदर्शनी' का आयोजन करना।
12. संगठन का उद्देश्य एस. एच.जी. महिला उद्यमकर्ताओं के लिए जैसा कि क्रम संख्या 1 से 11 में वर्णित है हेतु ऋण को बढ़ाना।

ऋण की अधिकतम सीमा :–

1. राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा उधारकर्ता संगठन को एक राज्य में ₹ 1 करोड़ का अधिकतम ऋण दिया जा सकता है। परन्तु संगठन इसे तीन राज्यों में कार्यान्वित करवाने के लिए अधिकतम ऋण ₹ 3 करोड़ तक ले सकता है।
2. ऋण सीमा निर्धारित करते समय रा.म.कोष. उस संगठन की वास्तविक ऋण की जरूरत वित्तीय अवस्था /संगठन के प्रबंधन, माइक्रो–क्रेडिट का अनुभव एवं संगठन की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर दिया जाता है।
3. पुनः ऋण पर केवल पहले ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद ही विचार किया जाऐगा।

4. कार्यशील पूंजी सावधि ऋण का निम्न तरीके से मूल्यांकन किया जाऐगा :–
प्रस्तावित ऋण की राशि – संगठन की सीमान्त राशि = कार्यशील पूँजी सावधि ऋण।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यशील पूंजी सावधि ऋण का पुनरीक्षण किया जाऐगा।

प्रतिभूति :–

1. ₹ 1 करोड़ तक के ऋण राशि पर कोई प्रतिभूति नहीं लिया जाऐगा।
2. यदि ऋण राशि ₹ 1 करोड़ से अधिक है तो उसे स्वीकृत राशि का 25% सावधि जमा या जमीन बंधक/ के रूप में जमा करना होगा।
3. रा.म.के. के ऋण से खरीदी गई सभी चलसम्पत्ति रा.म.कोष के पास दृष्टि बंधक रहेंगी।
4. संगठन को रा.म.के. द्वारा ऋण से खरीदी अचल सम्पत्तियाँ को बंधक रखा जा सकता हैं।
5. ऐसे निगम/संघ या राज्य सरकार का संगठन जोकि घाटे में चल रहा हो राज्य सरकार की गारंटी आवश्यक है।
6. रा.म.के. ऋण द्वारा कोई भी अचल सम्पत्ति खरीदी गई हो तो उसका प्रयोग ऋणदाता संगठन पूर्ण ऋण भुगतान करने के बाद भी भविष्य में एस.एस.जी. की विभिन्न गतिविधियों हेतु किया जाऐगा।
7. एन.जी.ओ./ आई.एम.ओ. द्वारा प्रदत्त ऋण से खरीदा हुआ सामान एस.एच.जी. के पास ऋण देने उपरान्त भी रहेगा।

बीमा : ऋणदाता संगठन को रा.म.के ऋण द्वारा ली गई चल सम्पत्ति का पूर्ण बीमा सुनिश्चित करना होगा ।

अदायगी :– संगठन को 6 महीने की प्रारंभिक ऋण स्थगन के साथ तीन साल के अन्दर 8–10 तिमाही किस्तों में भुगतान करना होगा।

मार्जिन :– संगठन को रा.म.के द्वारा कार्यशील पूँजी सावधि ऋण में 10% अपना अंशदान करना होगा।

संवितरण :–ऋण की संतोषजनक उपयोगिता के आधार पर दो किस्तों (प्रत्येक 50%) में संवितरित किया जाना है।

निगरानी :– अन्य योजनाओं की तरह किसी भी संगठन की ऋण निरीक्षण ऋण भुगतान से पूर्व एवं दूसरा प्रथम किस्त के बाद किया जाऐगा।

पात्रता :– अन्य पात्रता मापदंड उपर्युक्त बॉक्स 1 में वर्णित जैसी ही रहेंगी।

F. **फ्रेंचाइजी योजना :–**इस योजना के तहत अन्तःमध्यस्थ संगठनों, एम.एफ.आई. तथा एन.जी.ओ. को पर्याप्त मात्रा में वित्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिम्मेदार एजेंसियो को रा.म. के. की गतिविधियों को फ्रेंचाइजी तरीके से लागू कराने के लिए नियुक्ति की जाती है। निर्धारित आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ राष्ट्रीय महिला कोष को भेजना है। आवेदन पत्र वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पात्रता मापदंड :–

1. एन.जी.ओ./ सामाजिक संगठन/ स्वैच्छिक संघ का विस्तृत उद्देश्य होना चाहिए जोकि विशेष तौर पर गरीब महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगो की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
2. इस संगठन में ऋण योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक सक्षमता, मूल वित्तीय प्रबंधन क्षमता और संगठनात्मक क्षमताएं होनी चाहिए।
3. संगठन के पदधारी किसी भी राजनीतिक दल का चयनित प्रतिनिधि न हो।
4. संगठन में लेखा जोखा तैयार करने की उचित प्रणाली होनी चाहिए। इस लेखा का प्रतिवर्ष परीक्षित तुलन पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितताऐं नहीं होनी चाहिए।
5. आवेदक संस्था को आवेदन करने की तारीख को 3 वर्ष से कम समय के लिए पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
6. एन.जी.ओ. को रा.म.कोष की योजनाओं को कियान्वित करवाने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का बेहतरीन रिकार्ड होना चाहिए।
7. आवेदन में पूर्व ऋण का स्रोत को स्पष्ट करना चाहिए।
8. ऋण वसूली अधिक से अधिक 90% से अधिक होना चाहिए।
9. सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों को कियान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कर्मचारी होना चाहिए।
10. किसी बाहरी एजेंसी से ऋण लेने का प्रावधान उपनियम/संस्था के बर्हिनियम होनी चाहिए।
11. संगठन के परीक्षित तुलन–पत्र में ऋण एवं वसूली का अनुभव स्पष्ट दिखनी चाहिए। परीक्षित तुलन पत्र अच्छी वित्तीय हैसियत को दिखाना चाहिए।

अधिकतम ऋण सीमा : ₹ 5 करोड़।

1. ₹ 1 करोड़ से अधिक ऋण के लिए आवेदन करने हेतु संगठन को राष्ट्रीय महिला कोष/ सिडबी/नाबार्ड/व्यावसायिक बैंको/ अन्य वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म ऋण योजनाओं के अंतर्गत कम से कम ₹ 2.00 करोड़ का ऋण ले चुके हों।
2. ₹ 1 करोड़ तक ऋण हेतु आवेदन करने के लिए संगठन को राष्ट्रीय महिला कोष/ सिडबी/ नाबार्ड/व्यावसायिक बैंको/ अन्य वित्तीय संस्थाओं की सूक्ष्म ऋण योजनाओं के अंतर्गत कम से कम ₹ 1.00 करोड़ का ऋण ले चुके हों।

फ्रेंचाइजी किस तरह से कार्य करता है ?

फ्रेंन्चाइजी को रा.म.के. की ओर से आवेदनों को स्वीकार करने का अधिकार दिया जाता है, वह रा.म. के. मापदंड को ध्यान में रखकर अपने किसी चिन्हित निगरानी अधिकारी या अपने अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जाँच कर ऋण रा.म.कोष के नियमानुसार आवेदक को ऋण दिया जा सकता हैं। ऋण स्वीकृति एवं भुगतान के बाद उनके या रा.म.कोष द्वारा बांटे गये ऋण का वसूली एवं अनुवर्ती की जिम्मेदारी लेगा।

नोट : कोई भी पात्र संगठन फ्रेंचाइजी योजना या रा.म.के. की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकता है। फ्रेंचाइजी योजना के तहत ऋण लेने पर बनाये गये अन्य योजना के तहत दिये गये ऋण संगठन द्वारा गठित स्व. सहायता समूह को ही दिया जायगा। संगठन को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन को भरकर रा.म.कोष में भेजना पड़ता है। यह प्रारूप रा.म.कोष की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है।

G. महिला सहकारी बैंको/शहरी सहकारी बैंको हेतु पुनःर्वित्त योजना :—इस योजना के तहत महिला सहकारी बैंको एवं शहरी सहकारी बैंको को 100% पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही शहरी/ ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा सके। जो शर्त्ते सामान्य ऋण के लिए है जैसे इकाई लागत भुगतान की अवधि एवं ब्याज दर आदि ये सभी पुनविर्त योजना के लिए भी लागू है। आवेदक को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजना होगा। यह प्रारूप हमारी वैबसाइट पा भी उपलब्ध है।

पात्रता के मापदंड :— पुनविर्त्त की सहायता ऐसी गरीब महिलाओं को जिन्हें अन्य वित्तीय एजेंसी से सहायता/ या महिलाएं किसी भी सरकारी सहायता या उपदान योजना का लाभ नहीं मिला हो।

पात्रता की मापदंड :—

1. बैंक को पुनर्वित्त के लिए आवेदन पत्र से कम से कम पाँच वर्ष पहले पंजीकृत होना चाहिए।
2. बैंक को पिछले तीन वर्षो के परीक्षित तुलन—पत्र में किसी प्रकार का घाटा नहीं होना चाहिए।
3. पिछले तीन वर्षो से बैंक के लेखा जोखा रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
4. पिछले तीन वर्षो के दौरान बैंक द्वारा ऋण वसूली तर्कसंगत एवं बढ़ते क्रम में होनी चाहिए।

पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा :— किसी भी महिला या शहरी सहकारी बैंक का किसी भी समय उसके पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाये गये खुद की निधियां से चार गुणा से अधिक नहीं होगा।

H. **नोडल एजेंसी योजना** :— नोडल एजेंसी योजना की शुरूआत 1996—1997 मे की गई । उसका मुख्य उद्देश्य नामी एवं अनुभवी संगठन (जरूरी नहीं कि रा.म.कोष का पार्टनर हो) से सहायता

लेकर नये एन.जी.ओ. को चिन्हित कर महिलाओं को आय उत्पादन गतिविधियों हेतु ऋण देने के लिए जोड़ना है। आवेदक को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर भेजना होगा। यह प्रारूप रा.म.के. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

नोडल एजेंसी की मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित है :– (रा.म.कोष शासी बोर्ड द्वारा जुलाई 13 में अनुमोदित योजना)

1. जो एन.जी.ओ./आई.एम.ओ. योजनाओं को क्रियान्वित करता है। उसे नोडल एजेंसी कहा जायगा।
2. जो व्यक्ति नोडल एजेंसी योजना में राष्ट्रीय महिला कोष के कार्य की जिम्मेदारी लेता है। उसे नोडल अधिकारी के रूप में जाना जायगा।

पात्रता :–

1. एन.जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन/ स्वैच्छिक संस्था को महिला सशक्तिकरण गतिविधियों /माइक्रो क्रेडिट गतिविधियों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. संगठन के पास पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रशिक्षण क्षमताऐं होनी चाहिए।
3. चूककर्ता संगठन इसके पात्र नहीं होंगे।
4. संगठन को आवश्यक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन युक्त कर्मचारी होना चाहिए।
5. संगठनों का ठोस वित्तीय आधार होना चाहिए।
6. संबंधित संगठनों को योजना आयोग के तहत पंजीकृत होना चाहिए ताकि उन्हें वेबसाइट में शामिल किया जा सके।

नोडल एजेंसी से निम्न कार्यो को पूरा करने की आशा की जाती है :–

1. रा.म.कोष की विभिन्न ऋण योजनाओं को राज्य के उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना जहाँ इसकी पहुँच नहीं है।
2. नोडल एजेंसी का कार्य उन एन.जी.ओ. को चुनना एवं अच्छे ऋण प्रस्ताव पत्र इक्ट्ठा करना है जिन्हें पहले से एस.एच.जी/जे.एल.जी बनाना, बचत राशि जुटाना, आन्तरिक ऋण एवं वसूली प्रबंध का अच्छा ज्ञान हो।
3. नोडल एजेंसी का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में एन.जी.ओ./एस.एच.जी/जे.एल.जी में जागरूकता सृजन एवं क्षमता पैदा करने में सहायता करना ।
4. रा.म.कोष की ओर से कार्य क्षेत्र संगोष्ठी, कार्यशाला प्रचालन एवं प्रशिक्षण आदि का प्रबंध करना है।
5. रा.म.कोष द्वारा प्रदत्त ऋणी को सही मार्ग दिखाना, ऋण प्रस्ताव का अनुवर्ती कार्रवाई एवं ऋण वसूली में सहायता करना है।

6. नोडल एजेंसी उनके कर्मचारियों में से एक समर्पित नोडल अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। इसके लिए रा.म.के. की ओर से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाऐगा।
7. नोडल एजेंसी को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करना होगा जोकि 2 साल के लिए मान्य होगा।
8. नोडल एजेंसी को रा.म.कोष उनके सिफारिश पर कुल वितरित ऋणों के निष्पादन पर 1% प्रोत्साहन राशि के तौर पर तथा 1% ऋण की समय से पर अदायगी दी जायगी।
9. नोडल एजेंसी को एक दिन के कार्यक्रम यथा जागरूकता सभा/प्रशिक्षण/संगोष्ठी/ कैम्प के लिए रूपए 1 लाख तक या जो वास्तविक खर्चे हो स्वीकार्य होगा।